न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1/170/18
तारीख दायरा : 09.05.2018

उनवान

1. मक्खनलाल पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम परवैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र झण्डू जाति गुर्जर निवासी ग्राम परवैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.....प्रतिवादी

(दावा बाबत जारी कराये जाने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)
उपस्थित – श्री प्रदीप दीक्षित एडवोकेट वादी

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 30.09.2022

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण की तन्हा हकुक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 48 ऐयर, 608 रकबा 90 ऐयर, 689 रकबा 9 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1 है0 47 ऐयर वाके ग्राम पाडली तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। इस आराजी से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक व वास्ता अरसे दराज से न तो कभी रहा और न है, जो आराजी उपरोक्त दावा हाजा में विवादित भूमि है और विवादित भूमि के नाम से संशोधित की जा रही है ताईद में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2061 व जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 62 पेश की है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है जो लट्ठ के बल पर हम वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की विवादित आराजी में मुजाहीम होते है और हमें जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा करने कि जुस्तजु में है जिसका की उन्हे कोई कोई अधिकार प्राप्त नही है और आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 22.07.2005 को हम वादीगण के कब्जे काश्त में विवादित भूमि में मजाहमत की और हमने विवादित भूमि में जो जोत लगाई हुई थी उसमें जबरन जोत लगाकर बीज डालने की कोशिश की। हम वादीगण ने आपत्ति की और ईमदाद गवाहान यह घटना टाली गई तो प्रतिवादीगण ने एलानियां उत्तेजना भरे शब्दों में यह कहा कि वो विवादित आराजी के किसी भी भाग पर या सालिम पर अपना जबरन कब्जा करके रहेंगे और वादीगण को विवादित आराजी में चैन से काश्त नही करने देंगे। वादीगण हमारा कुछ नही बिगाड सकते और चूंकि प्रतिवादीगण अपनी आदत से बाज नही आ रहे है और उन्होने ऐसा कर दिया

तो दरम्यान फरीकेन झगडे होकर मुकदमें बाजी बढेगी जिससे हम वादीगण को नाहक मुकदमें बाजी में फसना पडेगा और ऐसा भारी नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रुपयां में व हकुकों में न तो हो सकेगी और न आंकी जा सकेगी जो ना पूर्ति होने वाली पार हानि होगी इसलिये हम वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराना चाहते हैं कि वो इस विवादित आराजी में या इसके किसी भी भाग में हम वादीगण के कब्जे काश्त में कोई रूकावट व मजाहमत न करें और इस आराजी से हमे जबरन बेदखल न करने व अपना जबरन कब्जा न करे व ऐसा करने से बाज आवे। अन्त में निवेदन किया कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि वो वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 48 ऐयर, 608 रकबा 90 ऐयर, 689 रकबा 9 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1 है0 47 ऐयर वाके ग्राम पाडली तहसील रेणी में है, में वादीगण के कब्जे काश्त में कुल कार्य काश्तकारी में फसल बौने व काटने व समेटने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे व इस आराजी पर अपना जबरन कब्जा न करे व वादीगण को जबरन बेदखल न करे व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा जवाब पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 48 ऐयर के सम्वत् 2046 से पूर्व साबिक नम्बर 529 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा थे। साबिक नम्बर 529 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के अलावा ग्राम पाडली में खाता संख्या 1 में 15 नम्बर और थे और इन 16 नम्बरों का रकबा कुल 48 बीघा 3 बिस्वा था। इस खाता संख्या 1 की कुल किता 16 में 4 खातेदार थे जिसमें 1/4 हिस्से में वादीगण का पिता पन्ना व पन्ना का भाई रामसहाय खातेदार थे। 1/4 भाग में झण्डू छोटका पुत्रान नानगा, 1/4 भाग में फैहली पुत्र देवला गुर्जर एवं शेष 1/4 भाग में मूला पुत्र भूरिया मीणा खातेदार थे। मूला पुत्र भूरिया मीणा ने अपने 1/4 हिस्से की आराजी को जबानी तौर पर फैहली पुत्र देवला गुर्जर को बेच दी थी। इसप्रकार फैहली पुत्र देवला गुर्जर का खाता संख्या 1 की कुल आराजी में 1/2 हिस्सा हो गया था। इसी प्रकार रामसहाय पुत्र शंकर व छोटका पुत्र नानगा की लाऔलाद फौत हो गयी थी, इस कारण उनके वारिस पन्ना व झण्डू बने। गत् 40–50 वर्ष पूर्व ही पक्षकारान (वादीगण के पिता पन्ना) झण्डू व फैहली ने खाता संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 499 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 500 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 502 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 503 रकबा 11 बिस्वा, 504 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 505 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 525 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 526 रकबा 2 बीघा, 527 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 528 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 529 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 530 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, 532 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 534 रकबा 2 बीघा, 535 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा का मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया। जिस बंटवारे में साबिक आराजी खसरा नम्बर 529 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा झण्डू पुत्र नानगा गुर्जर के हिस्से में आयी और उस बंटवारे के बाद में अर्थात 40–50 वर्ष से इस आराजी खसरा नम्बर 529 रकबा 2 बीघा

11 बिस्वा जिसके हाल नम्बर 548 रकबा 0.48 है0 बने है पर प्रतिवादी नं0 1 [illegible] बराक–टाक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और आराजी का भरपूर फायदा उठाता चला आ रहा है। हाल बन्दोबस्त सम्वत 2048 में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर गलत रूप से आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.48 है0 सालिम अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली जबकि वादीगण ने इस आराजी पर कभी किसी प्रकार से कब्जा नहीं रहा और ना ही है। साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक वादीगण इस नम्बर में केवल 1/4 हिस्से के ही खातेदार थे। सम्वत 2048 में हुये गलत इन्द्राज के बाद भी प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.48 है0 पर बराक–टाक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अब वादीगण के मन में बदनियती आ गई है और इसी कारण से वह अब विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है और आराजी को बेचान करने की धमकी देते है। वादीगण के मन में बदनियती आ जाने के कारण ही उसने प्रतिवादीगण के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज किया जावे।

उपरोक्त प्रकरण में दावा, जवाबदावा एवं राजस्व अभिलेख के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

तनकी नं0 1 – आया वादी, प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 584, 608 689 वाके ग्राम पाडली के कार्यकाश्त में रूकावट वो मजाहमत न करने, जबरन कब्जा न करने व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

वादीगण

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 48 ऐयर, 608 रकबा 90 ऐयर, 689 रकबा 9 ऐयर कुल किता 3 रकबा 1.47 है0 वादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण मिल वादीगण की उक्त आराजी में जबरन कब्जा काश्त करना चाहते है तथा वादीगण को बेजा तरीके से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है।

प्रतिवादीगण का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 0.48 है0 के सम्वत 2046 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 529 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा था जो खाता संख्या 01 में अन्य 15 नम्बरों के साथ था। इस प्रकार कुल 16 खसरों में 4 खातेदार थे जिसमें 1/4

हिस्से के वादीगण का पिता पन्ना व पन्ना का भाई रामसहाय खातेदार थे। 1/4 भाग में झण्डू छोटका पुत्रान नानगा, 1/4 भाग में फैहली पुत्र देवला गुर्जर एवं शेष 1/4 भाग में मूला पुत्र भूरिया मीणा खातेदार थे। मूला पुत्र भूरिया ने अपने हिस्से की आराजी को जबानी तौर पर फैहली पुत्र देवला को बेचान कर दिया। इस प्रकार फैली 1/2 हिस्से का खातेदार हो गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 548 रकबा 0.48 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 झण्डू अकेला बेरोकटोक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

दोनो पक्षों के उपरोक्त कथनों पर मनन किया गया तथा इस संदर्भ में पत्रावली में उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया। विवादित आराजी वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वादीगण की खातेदारी की भूमि है। इसलिए कानून की नजर में वादीगण विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत एक रिकॉर्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी आराजी में अन्य दीगर व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की रोक–टोक एवं मजाहमत नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किये जाने की व्यवस्था दी हुई है। यद्यपि प्रतिवादी नं0 1 का कथन है कि विवादित आराजी के 0.48 है0 पर उसका कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित नही होता है और यदि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जावे कि प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा काश्त है तो कानून की नजर में ऐसा कब्जा प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि विवादित आराजी के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है और विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। लिहाजा दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 48 ऐयर, 608 रकबा 90 ऐयर, 689 रकबा 9 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम पाडली में वादीगण के कब्जे एवं कार्य काश्तकारी फसल को जोतने बोने काटने समेटने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आरएएस

राजस्व वाद संख्या : 1/170/18
तारीख दायरा : 09.05.2018

उनवान

1. मक्खनलाल पुत्र पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम परवैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र झण्डू जाति गुर्जर निवासी ग्राम परवैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.....प्रतिवादी

(दावा बाबत जारी कराये जाने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)
उपस्थित – श्री प्रदीप दीक्षित एडवोकेट वादी

न्यायालय द्वारा :–

:: पर्चा डिक्री :: दिनांक : 30.09.2022

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 584 रकबा 48 ऐयर, 608 रकबा 90 ऐयर, 689 रकबा 9 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम पाडली में वादीगण के कब्जे एवं कार्य काश्तकारी फसल को जोतने बोने काटने समेटने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.09.2022 को तैयार की गई।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)